

वजनवान

रतिराम

बनाम

इन्दिरा

धारा

212 11 वर

मुकदमा नं.

24/2021

ऑनलाईन नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम हुकम
11/11/21	<p>पत्रावली पेश हुई, नवीन-पार्की उक्त फिलाल में उक्त पत्रकारान को बहाल हुनी गई, तथा कर्णवरी है साथ सेलमन दस्तावेजों का गुणावगुण / नियमों के आधार पर अवलोकन किया गया, गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त शुभान्त वक्त नमस् है कि उक्त दारिद्र्य इतर है। पुनश्च: पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से वादी रिकॉर्ड्स खालेदार प्रतीत होला है। प्रथम इतरया मामला तो वादी के पक्ष में है। परन्तु वादी की प्रतिवादी द्वारा बना आर्ट उल्लेख अप्ररणीय कारि कारित होना संभावित या सम्भिकत है कि विषय में न तो कोई तथ्य न ही निष्करण पेश किया है। वादी को कसले संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहना या जिससे इस प्रकार का कोई अवधान प्रदर्शित हो सके कि प्रतिवादी द्वारा उसी खालेदारी कारि के खुद-खुद या अन्य प्रकार से कारितकारि संभावित है। अतः सुधिद्या संतुलन वादी/प्रार्थी के पक्ष में गयी है। प्रा. पत्र. सेलमन दस्तावेजों कि आधार पर नका बहाल के सिद्धियों के आधार पर</p>	

बनाम


मुकदमा नं.

ऑनलाईन नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
हुकम क

गुणावगुण विधीन घेने हे कुल
खादिल क्रिया जाता हे प्र. प्र. फल
शुभा घेऊ नये से इत घे व
दाखिल दफतर हे।


॥ ॥ ॥ ॥ ॥